



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 12 जून, 2025 / 22 ज्येष्ठ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू (हिंगोल)

अधिसूचना

दिनांक 26 मई, 2025

संख्या: पीसीएच(कु.)—पंचायत निर्वाचन (जि.प.)—परिसीमन 2025—2435—84.—निदेशक एवं विशेष सचिव, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच—एचए(1) 2020—Delimitation—53—राजपत्र / 2025—12—06—2025 (2569)

5347-58 दिनांक 01-05-2025 तथा अधिसूचना संख्या पीसीएच- एचए(1)18/2008-Loose-II—दिनांक 01-05-2025, जिसके अनुसार जिला परिषद वार्डों के परिसीमन का निर्धारण करने हेतु पंचायत समिति एक इकाई होगी। उक्त की अनुपालना में अधोहस्ताक्षरी की अधिसूचना संख्या पीसीएच-(कु0)-पंचायत निर्वाचन जिला परिषद-परिसीमन 2025-2164-78 दिनांक 14-05-2025 द्वारा जिला कुल्लू के जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी की गई थी।

उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में श्री खेख राम ठाकुर (अध्यक्ष पंचायत समिति नगर) पुत्र श्री बालक राम, गांव सौर, डाकघर कराडसू तहसील व जिला कुल्लू व अन्य से दिनांक 19-05-2025 को संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आक्षेप विकास खण्ड नगर के जिला परिषद वार्डों के परिसीमन के बारे में प्राप्त हुआ। आक्षेप पर हिं0प्र0 पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत दिनांक 23-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे सुनवाई रखी गयी, जिसका उक्त नियमानुसार निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी जिला परिषद वार्ड के परिसीमन बारे कोई भी आक्षेप व दावे प्राप्त नहीं हुए।

अतः मैं तोरल एस0 रवीश (भा0प्र0से0), उपायुक्त कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा जिला कुल्लू के जिला परिषद वार्डों के परिसीमन की अन्तिम अधिसूचना निम्न विवरण अनुसार जारी करती हूँ:—

#### जिला परिषद कुल्लू जिला कुल्लू के वार्डों के परिसीमन के निर्धारण का विवरण

जिला परिषद वार्ड का नाम	क्र0 सं0	पंचायत का नाम
1. नसोगी	1.	पलचान
	2.	बुरुआ
	3.	वशिष्ठ
	4.	चचोगा
	5.	शनाग
	6.	मनाली
	7.	नसोगी
	8.	शलीन
	9.	ब्राण
	10.	प्रीणी
	11.	जगतसुख
	12.	गोज़रा
2. नगर	1.	करजां
	2.	सोयल
	3.	हलाण-1
	4.	सरसेई
	5.	नगर
	6.	रुमसू
	7.	नथान
	8.	लरांकेलों
	9.	जाणा
	10.	अरछणडी
	11.	कराड़सू
	12.	राउगी
	13.	सोयल-2
	14.	काईस
	15.	गाहर

<b>3. बरशैणी</b>	1.	जिया
	2.	भ्रैण
	3.	दनोगी
	4.	पीणी
	5.	तलपीणी
	6.	मणिकरण
	7.	बरशैणी
	8.	कसोल
	9.	छलाल
	10.	जरी
	11.	पुन्थल
	12.	बराधा
	13.	जां
	14.	शाट
	15.	चौग
	16.	जलूग्रां
	17.	रतोचा
	18.	मलाणा
<b>4. ज्येष्ठा</b>	1.	छेवर
	2.	शिलीहार
	3.	दियार
	4.	पारली
	5.	ज्येष्ठा
	6.	मंझली
	7.	भलाण-1
	8.	गड़सा
	9.	हुरला
	10.	रोट
	11.	दलासणी
	12.	सचाणी
	13.	देवगढगोही
	14.	भलाण-2
	15.	तलाडा
	16.	रैला
	17.	रैला-2
<b>5. धाउगी</b>	1.	गाड़पारली
	2.	शांघड़
	3.	शैंशर
	4.	देउरीधार
	5.	बनोगी
	6.	सुचैहण
	7.	धाउगी
	8.	दुशाहड़
	9.	कनौन
	10.	लारजी
	11.	कोटला
	12.	चकुरठा

	13.	मंगलौर
	14.	थाटीबीड़
	15.	गोपालपुर
	16.	चनौन
	17.	देउठा
	18.	पलाहच
	19.	जमद
	20.	कलवारी
	21.	श्रीकोट
6. चायल	1.	देहरा
	2.	निथर
	3.	लोट
	4.	दुराह
	5.	शिल्ली
	6.	गमोग
	7.	घाटू
	8.	राहणू
	9.	नोर
	10.	चायल
	11.	बागा सराहण
	12.	डीम
	13.	जुआगी
	14.	कोट
	15.	कोटी
	16.	अरसु
	17.	बड़ीधार
7. बाड़ी	1.	निशानी
	2.	तवार
	3.	भालसी
	4.	शिशवी
	5.	गडेझ
	6.	बाहवा
	7.	बाड़ी
	8.	पोशना
	9.	ब्रो
	10.	खरगा
	11.	बखन
	12.	सरधा
	13.	कुशवा
	14.	तुनन
	15.	जगातखाना
8. बखनाओ	1.	पलेही
	2.	कुठेड
	3.	व्यंगल
	4.	डिंगीधार
	5.	दलाश
	6.	बैहना

	7.	तलुणा
	8.	आनी
	9.	नम्होग
	10.	जाबन
	11.	बखनाओ
	12.	चवाई
	13.	शिल्ही
	14.	देउठी
	15.	बुच्छैर
	16.	लफाली
9. लझेरी	1.	कोहिला
	2.	कमांद
	3.	खणी
	4.	बटाला
	5.	लझेरी
	6.	खनाग
	7.	कराड
	8.	पोखरी
	9.	मुहान
	10.	बिशलाधार
	11.	कोटासेरी
	12.	टकरासी
	13.	करशैईगाड
	14.	फनौटी
	15.	लगौटी
	16.	रोपा
	17.	मुण्डदल
	18.	कराणा
	19.	कराणा—1
	20.	कुंगश
	21.	विनण
10. कोठीचैहनी	1.	सराज
	2.	टील
	3.	मोहनी
	4.	खावल
	5.	बाहु
	6.	तादी
	7.	खड़ागाड
	8.	सजवाड
	9.	कोठीचैहनी
	10.	बलागाड
	11.	शिकारीधाट
	12.	कण्डीधार
	13.	मशियार
	14.	नौहाण्डा
	15.	पेंखडी
	16.	तुंग

	17.	शिल्ली
	18.	शरची
11. शमशी	1.	च्यूल
	2.	हाट
	3.	बजौरा
	4.	कलैहली
	5.	मंशगा
	6.	खोखन
	7.	परगाणू
	8.	भूईण
	9.	बडाभुईन
	10.	बशौणा
	11.	नरैश
	12.	शुरड
	13.	तेगूबेहड
	14.	शमशी
12. मौहल	1.	जरड़भुठी कोलोनी
	2.	मौहल
	3.	भुलंग
	4.	शिलीराजगिरी
	5.	खडीहार
	6.	बाराहार
	7.	बल्ह
	8.	बल्ह—2
	9.	पीज
	10.	बुआई
	11.	शिलानाल
	12.	भुमतीर
	13.	ब्राह्मण
	14.	भल्याणी
	15.	चौपाडसा
	16.	मानगढ
	17.	माशना
13. डुगीलग	1.	डुखरीगाहर
	2.	फलाण
	3.	मझाट
	4.	डुगीलग
	5.	बस्तोरी
	6.	कोठीसारी
	7.	नलहाच
	8.	बनोगी
	9.	वाशिंग
	10.	बन्दोल
	11.	जिन्दौड
	12.	नेउली
	13.	चतानी
	14.	ग्राहण

14. कटराई	15.	पुईद
	16.	बन्दल
	17.	चौकी डोभी
	18.	सेऊगी
	19.	चन्सारी
	20.	तलोगी
	1.	बैन्धी
	2.	रायसन
	3.	शिरढ़
	4.	देवगढ़
	5.	मण्डलगढ़
	6.	सलिगचा
	7.	हुरंग
	8.	पिछलीहार
	9.	दुआड़ा
	10.	कटराई
	11.	हलाण—2
	12.	बड़ाग्रां
	13.	रियाड़ा
	14.	पनगां

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / –  
(तोरुल एस. रवीश),  
उपायुक्त, जिला कुल्लू हि०प्र०।

### विधि विभाग

#### अधिसूचना

शिमला—2, 6 जून, 2025

**संख्या: एल.एल.आर.—डी.(6)—7 / 2025—लेज.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) को दिनांक 02—06—2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 34 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई—गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,  
प्रधान सचिव (विधि)।

## भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
  2. अनुसूची 1—क का संशोधन।
  3. निरसन और व्यावृत्तियां।
- 

2025 का अधिनियम संख्यांक 34.

## भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 2 जून, 2025 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के छिह्नतरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 18 फरवरी, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

**2. अनुसूची 1—क का संशोधन।**—हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1—क में,—

(क) अनुच्छेद 23 के परंतुक के अंत में चिन्ह “।” के स्थान पर “:” चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन सम्पत्ति हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां स्टाम्प शुल्क, लिंग का विचार किए बिना, बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी अधिक हो, के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन, तथा दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।”;

(ख) अनुच्छेद 35 में,—

(i) खंड (क) के परंतुक के अंत में चिन्ह “।” के स्थान पर “:” चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की

अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहाँ स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन तथा दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन अनुमति के ऐसे मामलों में पट्टे विलेख पर स्टाम्प शुल्क के परिकलन हेतु फार्मूला :-

बारह प्रतिशत × बाजार मूल्य × (पट्टे की अवधि) / 100"; और

- (ii) खंड (ख) के अंत में चिन्ह “।” के स्थान पर “:” चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु जहाँ राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहाँ स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य या पट्टे की सम्पूर्ण रकम जो ऐसे पट्टे के अधीन संदत्त या परिदत्त करनी हो, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो, के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी”, न्यूनतम एक सौ रुपए के अध्यधीन तथा दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित।”।

**3. निरसन और व्यावृत्तियाँ।—(1)** भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

#### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**Act No. 34 of 2025.**

#### **THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2025**

#### ARRANGEMENT OF SECTIONS

*Sections:*

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Schedule 1-A.
3. Repeal and Savings.

**THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2025**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 2ND JUNE, 2025)

AN

ACT

*further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 18<sup>th</sup> day of February, 2025.

**2. Amendment of Schedule 1-A.**—In the Indian Stamp Act, 1899, as applicable to the State of Himachal Pradesh, in the Schedule 1-A,—

(a) in article 23, in the proviso, at the end for the sign “.”, the sign “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that where permission for conveyance of property is granted by the State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the Stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value or the consideration amount, whichever is higher, irrespective of gender, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.”;

(b) in article 35,—

(i) in clause (a), at the end, for the sign “.” the sign “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.

Formula for calculating stamp duty on lease deeds in such cases of permission under section 118(2) (h) of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972:—

12% x market value x (period of lease)/100"; and

(ii) in clause (b), at the end for the sign “.” the sign “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, whichever is higher, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.”.

**3. Repeal and savings.—**(1) The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

### ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

मिसल नम्बर 04 / T / 2025	किस्म मुकदमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 30—01—2025	तारीख पेशी 17—06—2025
-----------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

श्रीमती शिमलो देवी पत्नी हरीश चन्द, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं० 9, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) वादिया।

#### बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 प्रार्थिया श्रीमती शिमलो देवी पत्नी हरीश चन्द, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं० 9, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया श्रीमती शिमलो देवी पत्नी हरीश चन्द, वासी मोहाल सुजानपुर, वार्ड नं० 9, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख वाक्या मोहाल सुजानपुर में फूलां देवी पुत्री कालू दर्ज है, जबकि उनका सही नाम शिमलो देवी पुत्री कालू है। लिहाजा इसे मोहाल सुजानपुर के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके फूलां देवी उर्फ शिमलो देवी पुत्री कालू किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 17—06—2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 30—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

मिसल नम्बर  
24 / NT / 2025

किरम मुकदमा  
जन्म तिथि पंजीकरण

तारीख दायर  
22-05-2025

तारीख पेशी  
17-06-2025

सुश्री रीना रानी पुत्री श्री परस राम, वासी मोहाल चपटेड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) वादिया।

### बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 सुश्री रीना रानी पुत्री श्री परस राम, वासी मोहाल चपटेड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०)।

प्रार्थना—पत्र बराये जन्म तिथि पंजीकरण सुश्री रीना रानी पुत्री श्री परस राम, वासी गांव चपटेड, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि० प्र०) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 02-03-1975 को ग्राम पंचायत बैरी में हुआ था तथा सहबन गलती से जन्म तिथि दर्ज नहीं हो पाई है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 17-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बैरी में दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 22-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि०प्र०)।

### In the Court of Sh. Sanjeet Singh, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Aditya Thakur s/o Sh. Sanjay Kumar, r/o VPO Uhal, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.).
  2. Priyanka Kumari d/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Vill. Mandhair, P.O. Utpur, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur, H.P.
- Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.—Notice for Registration of Marriage.*

Sh. Aditya Thakur and Smt. Priyanka Kumari have filed an application u/s 5 of Special Marriages Act, 1954 alongwith supporting affidavits and documents before the Court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objections regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 20-06-2025. In case no objection is received by 20-06-2025 it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 26-05-2025.

Seal.

Sd/-  
Marriage Officer-cum-SDM,  
Sub-Division, Hamirpur (H.P.).

व अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती नाम।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल सिद्धपुर, मौजा घानियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

प्रार्थी रिनजिन बाबा पुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव राजेरा, पोस्ट ऑफिस राजेरा, तहसील चम्बा, जिला चम्बा, हि०प्र० द्वारा प्रार्थना—पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका सही व प्रचलित नाम रिनजिन वावा पुत्र बलदेव सिंह है, परन्तु जब मैंने महाल सिद्धपुर में जमीन खरीदी थी, तो उस समय मेरा नाम राजस्व रिकार्ड महाल सिद्धपुर में रीजे लोटे पुत्र छेरिंग लाम्बों पुत्री संगत सिंह दर्ज हो गया था, जोकि गलत है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल सिद्धपुर में रीजे लोटे पुत्र छेरिंग लाम्बों की बजाये रिन जिन वावा पुत्र बलदेव सिंह दर्ज करवाना चाहता है, जोकि प्रार्थी का सही व प्रचलित नाम है। प्रार्थी इसकी पुष्टि के लिए आधार कार्ड की नकल, पेन कार्ड की नकल, पासपोर्ट की छाया प्रति साथ संलग्न की है। मिसल को छानबीन हेतु हल्का कानूनगो प्रथम को भेजा गया, बाद रिपोर्ट हल्का कानूनगो व रिपोर्ट पटवारी पटवार वृत्त घानियारा के अनुसार रीजे लोटे पुत्र छेरिंग लाम्बों व रिन जिन बाबा पुत्र बलदेव सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए मुश्त्री मुनादी/इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता व हितबद्ध पक्षों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल सिद्धपुर, मौजा घानियारा में रीजे लोटे पुत्र छेरिंग लाम्बों पुत्री संगत सिंह की बजाये रिनजिन वावा पुत्र बलदेव सिंह दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05—04—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चंडियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मुकदमा संख्या : 09 / C / 2025

किस्म मुकदमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती सीता देवी पुत्री जगु राम, निवासी बन भुलाना, मौजा व उप—तहसील चंडियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती सीता देवी पुत्री जगु राम, निवासी बन भुलाना, मौजा व उप—तहसील चंडियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र, पहचान पत्र आदि में सही नाम सीता देवी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बन भुलाना, मझेड़ इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम श्रीमती सत्या देवी दर्ज है जोकि गलत है अतः आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख में उपरोक्त महालों में श्रीमती सीता देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15—06—2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर—हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26—05—2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चंडियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चंडियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मुकदमा संख्या : 08 / C / 2025

किस्म मुकदमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती सीता देवी पुत्री जगु राम, निवासी बन भुलाना, मौजा व उप—तहसील चंडियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती सीता देवी पुत्री जगु राम, निवासी बन भुलाना, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र आदि में सही नाम जगु राम दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल बन भुलाना, मझेड इन्तकाल तस्दीक करते समय उसके पिता का नाम जोहगल दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख में उपरोक्त महालों में जगु राम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-06-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 26-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मुकद्दमा संख्या : 12 / BDR / 2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म / मृत्यु पंजीकरण

श्री मोहिंदर सिंह पुत्र चमन लाल, निवासी डोली खुर्द, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)  
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री मोहिंदर सिंह पुत्र चमन लाल, निवासी महाल डोली खुर्द, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-06-1977 को महाल डोली खुर्द, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में किया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-06-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 23-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मु० नं० : 38 / तह० / 2025

किस्म मुकदमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-06-2025

राजिन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री चुनी लाल, गांव वकारग, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थी।

### बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत नाहलना

प्रतिवादीगण।

विषय.—मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राजिन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री चुनी लाल, गांव वकारग, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र मय हल्फिया व्यान पेश किया है कि मेरी दादी श्रीमती चिन्तू देवी पत्नी स्व० श्री लेला राम, गांव वकारग, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु दिनांक 20-10-1989 को गांव वकारग, डाकघर नाहलना, ग्राम पंचायत नाहलना, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत नाहलना के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपनी दादी की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत नाहलना को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरी दादी श्रीमती चिन्तू देवी पत्नी स्व० श्री लेला राम, गांव वकारग, डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु तिथि 20-10-1989 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-06-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप—स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत नाहलना को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-05-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मु० नं० : 46 / तह० / 2025

किस्म : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-06-2025

अनुराधा पुत्री स्व० श्री श्री धर, गांव पान्टी, डाकघर लाहट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थिया।

### बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत भगैतर

प्रतिवादीगण।

विषय.—मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अनुराधा पुत्री स्व0 श्री श्री धर, गांव पान्टी, डाकघर लाहट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र मय हल्किया व्यान पेश किया है कि मेरी माता श्रेष्ठा कुमारी पत्नी स्व0 श्री धर, गांव पान्टी, डाकघर लाहट, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु दिनांक 07–06–2007 को गांव पान्टी, डाकघर लाहट, ग्राम पंचायत भगैतर, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत भगैतर के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपनी माता की मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत भगैतर को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चर्सांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरी माता श्रेष्ठा कुमारी पत्नी स्व0 श्री धर, गांव पान्टी, डाकघर लाहट, तहसील जयसिंहपुर की मृत्यु तिथि 07–06–2007 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16–06–2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किसम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप—स्थानीय पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत भगैतर को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19–05–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील सुलह,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किसम मुकदमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 16–06–2025

रचना देवी पुत्री जैमल सिंह, निवासी गांव घनेटा, डाकघर दरंग, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया रचना देवी पुत्री जैमल सिंह, निवासी गांव घनेटा, डाकघर दरंग, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 10–09–1983 को गांव घनेटा, डाकघर दरंग में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत घनेटा के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत घनेटा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16–06–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना

एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया रचना देवी पुत्री जैमल सिंह के जन्म दिनांक 10-09-1983 के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत घनेटा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 18-06-2025

लाल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव व डाकघर सैन्थल, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके पिन्कू पुत्र शेर सिंह के बजाए लाल सिंह पुत्र शेर सिंह दर्ज करने बारे।

लाल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव व डाकघर सैन्थल, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि वह महाल बैजनाथ, पटवारवृत्त बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख महाल बैजनाथ में प्रार्थी का नाम पिन्कू पुत्र शेर सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का असल नाम लाल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके लाल सिंह पुत्र श्री शेर सिंह किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 17-06-2025

विनोद कुमार पुत्र श्री लाच्छमन दास, निवासी गांव अप्पर रजोट, डाकघर रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करके फते चन्द पुत्र दता के बजाए लाच्छमन दास पुत्र दता दर्ज करने बारे।

विनोद कुमार पुत्र श्री लाच्छमन दास, निवासी गांव अप्पर रजोट, डाकघर रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि वह महाल हार, पटवार वृत्त चौहट, तहसील बैजनाथ में भू—स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में महाल हार में प्रार्थी के पिता का नाम फते चन्द पुत्र दता दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम लाच्छमन दास पुत्र श्री दता है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके लाच्छमन दास पुत्र श्री दता किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-06-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना—पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव रजोट उपरला, डाकघर रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव रजोट उपरला, डाकघर रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री नम्रता का जन्म दिनांक 22-06-1996 को गांव रजोट उपरला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-06-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अंजू वाला पुत्री श्री दीनू राम, निवासी गांव व डाकघर दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अंजू वाला पुत्री श्री दीनू राम, निवासी गांव व डाकघर दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 04—04—1978 को गांव व डाकघर दयोल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16—06—2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव रजोट उपरला, डाकघर रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मोहिन्द सिंह पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव रजोट उपरला, डाकघर रक्कड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अनुराग मलहोत्रा का जन्म दिनांक 26—06—1997 को गांव रजोट उपरला में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16—06—2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 02—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

प्रीतम चन्द पुत्र श्री चमारु राम, निवासी गांव व डाकघर भट्टू तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रीतम चन्द पुत्र श्री चमारु राम, निवासी गांव व डाकघर भट्टू तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 28—05—1956 को गांव भट्टू में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16—06—2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 30—04—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

---

**ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

गायत्री देवी पुत्री श्री भगत राम, निवासी गांव व डाकघर टिक्करी डुहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

गायत्री देवी पुत्री श्री भगत राम, निवासी गांव व डाकघर टिक्करी डुहकी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 15—03—1965 को गांव व डाकघर टिक्करी डुहकी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16—06—2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05—05—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

---

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकदमा संख्या : 11 / BDR / 2025

किस्म मुकदमा: जन्म / मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती हरदोई देवी पुत्री सीता राम, निवासी महाल राजनगर, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 02—12—1957 को महाल राजनगर, उप—तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती हरदोई देवी पुत्री सीता राम, निवासी महाल राजनगर, उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 02—12—1957 को महाल राजनगर, उप—तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-06-2025 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 13-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)**

मुकद्दमा संख्या : 10/BDR/2025

किस्म मुकद्दमा: जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती रोशनी देवी पुत्री ईन्द्र राम, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती रोशनी देवी पुत्री ईन्द्र राम, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1955 को महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्त्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-06-2025 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 13-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मुकद्दमा नं०: / 2025

श्रीमती Champa Kumari d/o Late Sh. Kanchan Ram, r/o Vill. Barwala, P.O. Ghiyana Kalan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती Champa Kumari d/o Late Sh. Kanchan Ram, r/o Vill. Barwala, P.O. Ghiyana Kalan, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Champa Kumari का जन्म/मृत्यु दिनांक 26-12-1962 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Champa Kumari के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-06-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, Exercising the Powers of  
Marriage Officer, Dheera, Distt. Kangra (H.P.)**

In case. :

Mohamad Moin and Jyoti Kumari

*Versus*

General Public

*Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.*

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Mohamad Moin s/o Salam Deen, resident of Village Challah, P.O. Bachhwai, Tehsil Thural, District Kangra, H.P. and Jyoti Kumari d/o Nikka Ram, r/o VPO Salihar, Tehsil Khundia, District Kangra, H.P. that they have solemnized their marriage on dated 22-11-2024 at Village Challah, P.O. Bachhwai, Tehsil Thural, District Kangra, H.P. as per Muslim Rites and customs and living as husband and wife since then.

If there is any objection to the registration of this marriage the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 17-06-2025 otherwise the marriage will be registered.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,  
Dheera, District Kangra (H.P.).*

**समक्ष श्री संजीव गुप्ता ब अखित्यार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,  
जिला शिमला (हि०प्र०)**

मुकदमा संख्या : 36 / 2024

तारीख मरजुआ : 22-05-2024

तारीख पेशी : 01-07-2025

1. श्री कृष्ण कुमार अंगीरस पुत्र अनूप राम, निवासी रैणू डाकघर चनोग वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)
2. संजीव अंगीरस पुत्र दिनेश कुमार, निवासी रैणू डाकघर चनोग वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) प्रार्थीगण।

**बनाम**

1. श्री ज्ञान चन्द अंगीरस पुत्र अनूप राम, निवासी रैणू डाकघर चनोग वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 2. श्री राजीव अंगीरस पुत्र दिनेश कुमार, निवासी रैणू डाकघर चनोग वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 3. श्री नरेश कुमार पुत्र जानकी राम, निवासी रैणू डाकघर चनोग वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 4. श्री कमलेश कुमार पुत्र राम लाल, निवासी कलाल का बाग वाया सबाथू जिला सोलन (हि०प्र०), 5. श्री महेश दत पुत्र राम लाल, निवासी कलाल का बाग वाया सबाथू जिला सोलन (हि०प्र०), 6. श्री अजय पुत्र नानक दत, निवासी सायरी, डॉ सायरी, जिला सोलन (हि०प्र०), 7. श्री मुकेश पुत्र नानक दत, निवासी सायरी, डॉ सायरी, जिला सोलन (हि०प्र०), 8. श्रीमती राम देवी पत्नी स्व० श्री नानक दत, निवासी सायरी, डॉ सायरी, जिला सोलन (हि०प्र०), 9. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र जानकी राम, निवासी बरोग वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 10. श्रीमती कमला देवी पुत्री देवी राम, निवासी मोहाल पवाबो, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 11. श्रीमती तारा देवी पुत्री देवी राम, निवासी मोहाल पवाबो, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 12. श्री सोहन लाल पुत्र संत राम, निवासी शिलरू, वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 13. श्रीमती शीला देवी पुत्री संत राम, निवासी शिलरू, वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 14. श्रीमती आशा देवी पुत्री संत राम, निवासी शिलरू, वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 15. श्रीमती लीला देवी पुत्री संत राम, निवासी शिलरू, वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 16. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री संत राम मार्फत जायज वारसान श्रीमती सीमा पुत्री व राकेश कुमार पुत्र आशा शर्मा, 17. श्रीमती निशा पुत्री ओम प्रकाश, निवासी शिलरू, वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 18. श्री विशाल पुत्र ओम प्रकाश, निवासी शिलरू, वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 19. श्रीमती कमलेश पत्नी स्व० श्री ओम प्रकाश, निवासी शिलरू, वाया टुटू तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 20. श्री विनोद कुमार पुत्र पदम देव, निवासी रैणू डॉ चनोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 21. श्री मनोज कुमार पुत्र पदम देव, निवासी रैणू डॉ चनोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 22. श्री विद्या प्रकाश पुत्र पदम देव, निवासी रैणू डॉ चनोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 23. श्रीमती मीरा पत्नी स्व० श्री पदम देव, निवासी रैणू डॉ चनोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 24. श्री श्याम लाल पुत्र मस्त राम, निवासी रैणू डॉ चनोग, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 25. श्रीमती शांति पुत्री नारायणू निवासी पखटू डाकघर अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०), 26. श्रीमती खेमू पुत्री नारायणू निवासी, पखटू डाकघर अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०), 27. श्री मोहन लाल पुत्र किरपा राम, निवासी, पखटू डाकघर अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०), 28. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र किरपा राम, निवासी पखटू डाकघर अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०), 29. श्रीमती तृप्ता पुत्री किरपा राम, निवासी पखटू डाकघर अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०), 30. श्रीमती निशा पुत्री किरपा राम, निवासी पखटू डाकघर अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०), 31. श्रीमती संतोष पुत्री किरपा राम, निवासी पखटू डाकघर अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०), 32. श्रीमती उर्मिला पुत्री किरपा राम, निवासी, पखटू डाकघर अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०), 33. श्रीमती धनवंती पुत्री आत्मा राम, निवासी गांव पंजपिपलू वाया अर्की, जिला सोलन (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं० 16 / 190, खसरा नं० 368, 56, 62, 729, 818, रकबा तादादी 00-04-65 है०, मोहाल/मोजा पवाबो, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

प्रार्थना—पत्र श्री कृष्ण कुमार अंगीरस व संजीव अंगीरस ने न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम खाता/खतौनी नं 0 16 / 190, खसरा नं 368, 56, 62, 729, 818, रकबा तादादी 00—04—65 है, मोहाल/मौजा पवाबो, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रतिवादी नं 0 6 ता 8, 10, 11, 25 ता 33 की तामील सही पता उपलब्ध न होने के कारण सम्भव न हो पा रही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त प्रतिवादी नं 0 6 ता 8, 10, 11, 25 ता 33 को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 01—07—2025 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSC Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30—04—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप—तहसील रोनहाट,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकदमा :

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम कोटी, डाकघर कोटी—बोंच, उप—तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम कोटी, डाकघर कोटी—बोंच, ग्राम पंचायत कोटी—बोंच, उप—तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.——दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम कोटी, डाकघर कोटी—बोंच, उप—तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-1898, दिनांक 08—05—2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01—07—1961 को ग्राम पंचायत कोटी—बोंच के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन—पत्र में मय हल्फिया व्यान प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री नैन सिंह, निवासी ग्राम कोटी की जन्म तिथि 01—07—1961 को ग्राम पंचायत कोटी—बोंच, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 20—06—2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में कमला देवी पुत्री श्री नैन सिंह की जन्म तिथि 01—07—1961 को ग्राम पंचायत कोटी—बोंच, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकदमा :

श्री भगत राम पुत्र मीना राम, निवासी ग्राम झकांडो, डाकघर झकांडो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम झकांडो, डाकघर झकांडो, ग्राम पंचायत सकांडो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भगत राम पुत्र मीना राम, निवासी ग्राम झकांडो, डाकघर झकांडो, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला पंजीपाल (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2024-1245, दिनांक 25-04-2025 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपने पुत्र की जन्म तिथि 04-01-2008 को ग्राम पंचायत झकांडो के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन—पत्र में मय हल्फिया ब्यान प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर द्वारा संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री भगत राम पुत्र मीना राम, निवासी ग्राम झकांडो के पुत्र रीपन की जन्म तिथि 04-01-2008 को ग्राम पंचायत झकांडो, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 19-06-2025 को सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में रीपन पुत्र श्री भगत राम की जन्म तिथि 04-01-2008 को ग्राम पंचायत झकांडो, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,  
District Solan, Himachal Pradesh**

Case No.  
12/2025

Date of Institution  
08-05-2025

Date of Decision  
16-06-2025

Shri Ramesh Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Kainthi Gathian, Post Office Gaighat,  
Tehsil Kasauli, District Solan H.P. . .Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondents.

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Shri Ramesh Kumar s/o Shri Sohan Lal, r/o Village Kainthi Gathian, Post Office Gaighat, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his Grandmother Smt. Veena Devi w/o Sh. Sikhanu Ram was died on 11-04-2020 at home r/o Village Kainthi Gathian, Post Office Gaighat, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. as per affidavit given by the applicant, but her date of death could not be registered in the record of Gram Panchayat Chammo, Tehsil Kasauli, Distt. Solan within stipulated period.

Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Births & Deaths Registration of Gram Panchayat Chammo for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Smt. Veena Devi w/o Sh. Sikhanu Ram may submit their objections in writing in this court on or before 16-06-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 15th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-  
(JAGPAL SINGH)  
Executive Magistrate (Tehsildar),  
Kasauli, District Solan (H. P.).

**Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)**

Case No.  
22/2025

Date of Institution  
31-05-2025

Date of Decision  
30-06-2025

Shri Narinder Thakur s/o Shri Chandu Lal Thakur, r/o Village Sora Kaneta, Post Office Chandi, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

*Regarding delayed registration of death event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.***PROCLAMATION**

Shri Narinder Thakur s/o Shri Chandu Lal Thakur, r/o Village Sora Kaneta, Post Office Chandi, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that

his Grandfather Late Shri Sharan Ram Thakur *alias* Sarnu s/o Shri Dana was expired on 30-05-1985 at Village Sora Kaneta but his death has not been entered in the records of Gram Panchayat Kashlog, Tehsil Arki, District Solan H.P. as per the Non availability certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, Gram Panchayat Kashlog, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for registration of delayed death in respect of Late Shri Sharan Ram Thakur *alias* Sarnu may submit their objections in writing in this office on or before 30-06-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 1st day of June, 2025.

Seal.

Sd/-  
(NISHANT TOMAR, H.A.S.)  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Arki, District Solan (H.P.).*

**Before Shri Jagpal Singh, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli,  
District Solan, Himachal Pradesh**

<u>Case No.</u>	<u>Date of Institution</u>	<u>Date of Decision</u>
13/2025	22-05-2025	25-06-2025

Smt. Devrani d/o Sh. Laiq Ram, r/o Village Gharyana, Post Office Kanda, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. . . *Applicant.*

*Versus*

General Public . . *Respondents.*

*Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.*

Smt. Devrani d/o Sh. Laiq Ram, r/o Village Gharyana, Post Office Kanda, Tehsil Kasauli, District Solan H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that she was born on 09-06-1988 at home r/o Village Gharyana, Post Office Kanda, Tehsil Kasauli, Distt. Solan, H.P. as per affidavit given by the applicant, but her date of birth could not registered in the record of Gram Panchayat Gulhari, Tehsil Kasauli, Distt. Solan within stipulated period.

Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar Births & Deaths Registration, of Gram Panchayat Gulhari for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Smt. Devrani d/o Sh. Laiq Ram may submit their objections in writing in this court on or before 25-06-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(JAGPAL SINGH)  
Executive Magistrate (Tehsildar),  
Kasauli, District Solan (H. P.).

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Solan,  
District Solan (H.P.)**

In the matter of :

Smt. Lakshmi Devi d/o Shri Ram Bahadur, permanent, r/o Village Ghorai, Up Mahanagar  
Palika 5, Shishupur, Nepal . .Applicant.

*Versus*

General Public . .Respondent.

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.*

**PROCLAMATION**

Whereas, the applicant Smt. Lakshmi Devi d/o Shri Ram Bahadur, permanent, r/o Village Ghorai, Up Mahanagar Palika 5, Shishupur, Nepal has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering her delayed date of birth i.e. 15-11-2003 and place of birth at Village Seri, Post Office Galanag, Tehsil & District Solan (H.P.), but her date of birth could not be entered in the record of M.C. Solan Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Lakshmi Devi d/o Shri Ram Bahadur & Smt. Sunita Devi may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 18-06-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 17th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL),  
Executive Magistrate-cum-Tehsildar,  
Solan, District Solan (H.P.).

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Solan,  
District Solan (H.P.)**

In the matter of :

Shri Suraj Khatri son of Shri Tilak Bahadur Khatri, permanent r/o Village Lalpur Baijnath, Gaon Palika, District Banke, Nepal . .Applicant.

*Versus*

General Public

. .*Respondent.*

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.*

### PROCLAMATION

Whereas, the applicant Shri Suraj Khatri son of Shri Tilak Bahadur Khatri, permanent r/o Village Lalpur Baijnath, Gaon Palika, District Banke, Nepal has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering his child delayed date of birth *i.e.* 09-08-2019 and place of birth at Village Shamlech, Post Office Bohli, Tehsil & District Solan (H.P.), but his child date of birth could not be entered in the record of G.P. Anhech, Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Master Shiva Khatri s/o Shri Suraj Khatri & Smt. Meena Khatri may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 21-06-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 20th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL),  
*Executive Magistrate-cum-Tehsildar,*  
*Solan, District Solan (H.P.).*

### **In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Solan, District Solan (H.P.)**

In the matter of :

Shri Suraj Khatri son of Shri Tilak Bahadur Khatri, permanent r/o Village Lalpur Baijnath, Gaon Palika, District Banke, Nepal . .*Applicant.*

*Versus*

General Public

. .*Respondent.*

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.*

### PROCLAMATION

Whereas, the applicant Shri Suraj Khatri son of Shri Tilak Bahadur Khatri, permanent r/o Village Lalpur Baijnath, Gaon Palika, District Banke, Nepal has moved an application before the

undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering his child delayed date of birth *i.e.* 18-04-2020 and place of birth at Village Shamlech, Post Office Bohli, Tehsil & District Solan (H.P.), but his child date of birth could not be entered in the record of G.P. Anhech, Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Ms. Saneha d/o Shri Suraj Khatri & Smt. Meena Khatri may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 21-06-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 20th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-  
 (MULTAN SINGH BANYAL),  
*Executive Magistrate-cum-Tehsildar,*  
*Solan, District Solan (H.P.).*

**In the Court of Shri Multan Singh Banyal, Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Solan,  
 District Solan (H.P.)**

In the matter of :

Shri Suraj Khatri son of Shri Tilak Bahadur Khatri, permanent r/o Village Lalpur Baijnath, Gaon Palika, District Banke, Nepal ..Applicant.

*Versus*

General Public ..Respondent.

*Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and Death under section 13(3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.*

**PROCLAMATION**

Whereas, the applicant Shri Suraj Khatri son of Shri Tilak Bahadur Khatri, permanent r/o Village Lalpur Baijnath, Gaon Palika, District Banke, Nepal has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering his child delayed date of birth *i.e.* 12-01-2021 and place of birth at Village Shamlech, Post Office Bohli, Tehsil & District Solan (H.P.), but his child date of birth could not be entered in the record of G.P. Anhech, Tehsil & District Solan.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Master Arjun Khatri s/o Shri Suraj Khatri & Smt. Meena Khatri may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 21-06-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

---

Given under my hand and seal of the court on this 20th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

(MULTAN SINGH BANYAL),  
*Executive Magistrate-cum-Tehsildar,  
Solan, District Solan (H.P.).*

---

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, District Solan (H.P.) exercising  
the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954**

Case No. : 2/ 2025

Date of Instt. : 22-05-2025

Pending for : 23-06-2025

*Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for  
the registration of marriage.*

**Notice to the General Public**

Whereas, Sh. Mohindra Rathour s/o Sh. Sees Ram Rathour aged 54 years r/o Village Povabo, P.O. Sayri, Sub-Tehsil Mamligh, Distt. Solan (H.P.) and Smt. Pushpa d/o Sh. Malak Ram aged 46 years r/o Village Banjani, P.O. Chail, Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) and a/p w/o aforesaid Sh. Mohindra Rathour s/o Sh. Sees Ram Rathour have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage which was solemnized on 30-06-1999.

And, whereas, both the applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solmnization of their marriage as it is their first marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, he/she may present before this court on or before 23-06-2025 for hearing of objections if any. In case no objection is received by 23-06-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 22-05-2025.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,  
Kandaghat, District Solan (H. P.).*

---

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

**NOTICE UNDER SECTION 6 OF SPECIAL MARRIAGE ACT**

Whereas, Mr. Manish Kumar s/o Mr. Devi Chand, resident of Village and P.O. Kotla-Panjola, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) and Ms. Varsha Thakur, daughter of Mr. Kailash

Thakur, resident of Village Nagali, P.O. Oachghat, Tehsil and District Solan (H.P.) have gave notice of intended marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 to this office.

And whereas, both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Manish Kumar and Ms. Varsha are unmarried. Both the applicants have requested for solemnization of their marriage.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect if anybody has got any objection regarding the registration of marriage between above said Mr. Manish Kumar and Ms. Varsha they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the aforesaid marriage will be solemnized accordingly and marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 16th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

Dr. POONAM, HPAS,  
*Marriage Officer-cum-*  
*Sub-Divisional Magistrate,*  
*Solan, District Solan (H. P.).*

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,  
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

**NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT**

Whereas, Mr. Devender Kumar son of Mr. Ram Prasad, resident of 28 Near Bus Stop. Waverly Lodge, Village Subathu Cantt, Shariana (19), Solan, Tehsil and District Solan (H.P.) and Mrs. Upasana daughter of Mr. Alexender and wife of Mr. Devender Kumar resident of 28 Near Bus Stop. Waverly Lodge, Village Subathu Cantt, Shariana (19), Solan, Tehsil and District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 27-06-2001 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Devender Kumar and Mrs. Upasana were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Devender Kumar and Mrs. Upasana they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuance of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal of the court on this 16th day of May, 2025.

Seal.

Sd/-

Dr. POONAM, HPAS,  
*Marriage Officer-cum-*  
*Sub-Divisional Magistrate,*  
*Solan, District Solan (H. P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Anita Kumari d/o Sh. Laxmi Chand, r/o Village Bari, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.) declare that as per birth certificate of my daughter's actual & correct name is Aadiya Thakur instead of Aadaya Thakur. All concerned please note.

ANITA KUMARI  
*d/o Sh. Laxmi Chand,  
r/o Village Bari,  
Tehsil Sunder Nagar, District Mandi (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Kamla Devi w/o Sh. Budh Ram, r/o Village Rajana, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) declare that as per my Aadhar Card & all other record my actual name is Kamla Devi but in Aadhar Card my name is wrongly shown as Kaula Devi. In future I may be known as Kamla Devi.

KAMLA DEVI  
*w/o Sh. Budh Ram,  
r/o Village Rajana,  
Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Madhu Garg w/o Sh. Deepak Garg, r/o Garg Colony, V.P.O. Ghurkari, Tehsil & District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Madhu Garg to Madhu Modgil for my all future purposes. Concerned note it.

MADHU GARG  
*w/o Sh. Deepak Garg,  
r/o Garg Colony, V.P.O. Ghurkari,  
Tehsil & District Kangra (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Balwinder Kaur (50) w/o Sh. Dilawar Singh, r/o Village Sahora Jattan, P.O. Chaloh, Tehsil Indora, District Kangra (H.P.) do hereby declare that my real name is Balwinder Kaur but in my Aadhar Card it has been wrongly mentioned as Sushma which needs to be corrected. All concerned please note.

BALWINDER KAUR  
*w/o Sh. Dilawar Singh,  
r/o Village Sahora Jattan, P.O. Chaloh,  
Tehsil Indora, District Kangra (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Suresh Kumar s/o Sh. Tara Chand, r/o V.P.O. Shari, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.)-171212 declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Naresh Kumar which should be corrected as Suresh Kumar. Please correct this.

SURESH KUMAR  
*s/o Sh. Tara Chand,  
r/o V.P.O. Shari, Tehsil Theog,  
District Shimla (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Varsha Bhandari w/o Sh. Harvindra Bhandari, r/o Vrindavan Colony, Damrog Road, Solan (H.P.)-173211 declare that in my son Himank Bhandari's matriculation certificate my name is wrongly entered as Varsha which should be corrected as Varsha Bhandari.

VARSHA BHANDARI  
*w/o Sh. Harvindra Bhandari,  
r/o Vrindavan Colony,  
Damrog Road, Solan (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Firoj Mohammed s/o Sh. Saleem Mohammed, r/o Ward No. 4, Nalagarh, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare that the name Mohd. Usman is wrongly entered in my son's Aadhar Card. The correct name of my son is Usman Mohammed. I want to get the correct name of my son in the Aadhar Card changed to Usman Mohammed.

FIROJ MOHAMMED  
*s/o Sh. Saleem Mohammed,  
r/o Ward No. 4, Nalagarh,  
Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Keshar Singh s/o Sh. Nikka Ram, r/o Village Chanota, P.O. Brang, Sub-Tehsil Mandap, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Saurbh to Saurav Bhardwaj and in future he may be known as Saurav Bhardwaj. All concerned please may note.

KESHAR SINGH  
*s/o Sh. Nikka Ram,  
r/o Village Chanota, P.O. Brang,  
Sub-Tehsil Mandap, Tehsil Dharampur, District Mandi (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Ganesh Prasad Acharya s/o Sh. Kamal Raj, r/o Village Halana, P.O. Bhira, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 502423231197 my name is wrongly entered as Ganash Parsad Aachary which should be corrected as Ganesh Prasad Acharya. Please correct this.

**GANESH PRASAD ACHARYA**  
*s/o Sh. Kamal Raj,  
r/o Village Halana, P.O. Bhira,  
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Dharmender Kumar (35) s/o Late Sh. Bheem Singh, r/o Village Chowki, P.O. Khun, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Aashrita Thakur to Shrivika Thakur. All concerned please may note.

**DHARMENDER KUMAR**  
*s/o Late Sh. Bheem Singh,  
r/o Village Chowki, P.O. Khun,  
Tehsil Anni, District Kullu (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Keshwa Ram s/o Sh. Raj Kumar, r/o VTC Koron (791), P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that the actual and correct name of my son is Harsh Vardhan but in Aadhar Card bearing No. 5957 5423 5152 the name of my son has been mentioned as Harsh Verdhan instead of Harsh Vardhan which is required to be corrected.

**KESHLWA RAM**  
*s/o Sh. Raj Kumar,  
r/o VTC Koron (791),  
P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Mukul s/o Sh. Jugal Kishore Sharma, r/o House No. 50, Ward No. 7, Near Captain Mridul Chowk Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that in school record of my daughter Mannat Sharma, my name has wrongly been entered as Mukul Sharma whereas, my correct name is Mukul. All concerned please note.

**MUKUL**  
*s/o Sh. Jugal Kishore Sharma,  
r/o House No. 50, Ward No. 7,  
Near Captain Mridul Chowk Hamirpur,  
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Kokan Devi w/o Sh. Prem Singh, r/o Village Dugnehra, P.O. Jahniyara, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name & my husband's name has wrongly been entered as Koka Devi & Sh. Prem Chand respectively, whereas, my correct name is Kokan Devi & my husband's correct name is Sh. Prem Singh. Please note.

KOKAN DEVI  
*w/o Sh. Prem Singh,  
r/o Village Dugnehra, P.O. Jahniyara,  
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Chander Mani s/o Sh. Dehal Dass, r/o Village Parwara, P.O. Parwara, Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.)-175029 age 33 years have changed the name of my minor daughter namely Palak Chauhan age 11 years and she shall be hereafter known as Palka Chauhan. All concerned note it.

CHANDER MANI  
*s/o Sh. Dehal Dass,  
r/o Village Parwara, P.O. Parwara,  
Tehsil Chachyot, District Mandi (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Farheen Sheikh d/o Mohammad Ameen, r/o Mohalla Upper Julahkari Chamba, P.O. Hardaspura, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that in my 10th & 12th class DMC my mother's name has been wrongly entered as Shamshad Sheikh in 10th class and Smt. Shamshad Sheikh in 12th class, her correct name is Shamshad Begum.

FARHEEN SHEIKH  
*d/o Mohammad Ameen,  
r/o Mohalla Upper Julahkari Chamba,  
P.O. Hardaspura, Tehsil & District Chamba (H.P.).*

**CORRECTION OF NAME**

I, Shubha Dai w/o Late Sh. Main Ram, r/o V.P.O. Gaonsari, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) hereby declare that my name has been wrongly mentioned as Sukh Dei in my Aadhar Card. Therefore, it should be corrected to Shubha Dai.

SHUBHA DAI  
*w/o Late Sh. Main Ram,  
r/o V.P.O. Gaonsari,  
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).*

## CORRECTION OF NAME

I, Ishu d/o Guman Singh, Village Koti, P.O. Bachhunch, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) hereby declare that my name has been wrongly mentioned as Isha in my Aadhar Card. Therefore, it should be corrected to Ishu.

ISHU

*d/o Guman Singh,*

*r/o Village Koti, P.O. Bachhunch,  
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).*

